भारत सरकार
सहकारिता मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1488
मंगलवार, 12 दिसंबर, 2023/21 अग्रहायण, 1945 (शक) को उत्तरार्थ

सहकारी समितियों के लिए ऑनलाइन मंच

†1488. श्री डी. के. सुरेशः

क्या **सहकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार का सहकारी समितियों के लिए विधिक और संस्थागत अवसंरचना तैयार करने हेतु कोई विधान लाने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार की सहकारी समितियों की संपूर्ण प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन मंच/लेन-देन आरम्भ करने की कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक कितनी सहकारी समितियों को ऑनलाइन मंच प्रदान किया गया है; और

(घ) क्या सरकार इन समितियों के सदस्यों को ऋण आदि के लिए ऑनलाइन आवेदन करने हेतु ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए कोई कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सहकारिता मंत्री (श्री अमित शाह)

(क) से (घ): सहकारी समितियां जिनके उद्देश्य किसी एक राज्य में सीमित नहीं होते हैं, वे बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम (एमएससीएस), 2002 और उसके अधीन बने नियमों के द्वारा प्रशासित होते हैं । बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही में बढ़ोत्तरी, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार और 97वें संविधान संशोधन के उपबंधों को अंतर्विष्ट करने के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाईटी अधिनियम (एमएससीएस), 2002 में संशोधन लाया गया है ।

सहकारी समितियों के कार्यकरण में ऑनलाइन प्लैटफॉर्म/लेनदेन को शामिल करने हेतु मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:

i. **कंप्यूटरीकरण द्वारा पैक्स का सशक्तिकरण:** सरकार द्वारा 2,516 करोड़ रुपए के कुल वित्तीय परिव्यय से 63,000 कार्यशील पैक्स के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना अनुमोदित की गई है, जिसमें देश के सभी कार्यशील पैक्स को एक कॉमन ईआरपी आधारित राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर में लाकर उन्हें राज्य सहकारी बैंकों और जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से नाबार्ड के साथ जोड़ा जाएगा । इस परियोजना के अधीन 28 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों से कुल 62,318 पैक्स स्वीकृत किए गए हैं । सॉफ्टवेयर तैयार है और अब तक 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में 5,673 पैक्स में परीक्षण शुरू हो चुके हैं ।

ii. **केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कंप्यूटरीकरण:** बहुराज्य सहकारी समितियों के लिए डिजिटल परितंत्र सृजित करने हेतु केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय को कंप्यूटरीकृत किया गया है जो समयबद्ध तरीके से आवेदनों और सेवा अनुरोधों की प्रोसेसिंग में सहायक होगा ।

iii. **राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की योजना**: सहकारी समितियों के लिए 'सुगम व्यवसाय' में वृद्धि और सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पारदर्शी कागज-रहित विनियमन हेतु डिजिटल परितंत्र स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा सहकारी समितियों के पंजीयक के कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण की एक केंद्रीय प्रायोजित परियोजना अनुमोदित की गई है । राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को हार्डवेयर की खरीद**,** सॉफ्टवेयर के विकास**,** इत्यादि के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा ।

iv. **कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) का कंप्यूटरीकरण**: दीर्घकालिक सहकारी ऋण संरचना को सशक्त करने के लिए सरकार द्वारा कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (ARDBs) की 1,851 इकाइयों के कंप्यूटरीकरण की एक परियोजना अनुमोदित की गई है । इस परियोजना के लिए नाबार्ड कार्यान्व्यन एजेंसी है जो कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों के लिए एक राष्ट्रीय स्तर के सॉफ्टवेयर का विकास करेगा । इस परियोजना के अधीन हार्डवेयर, लीगेसी डाटा के डिजिटलीकरण, कर्मियों का प्रशिक्षण, आदि के लिए सहयोग प्रदान किया जाएगा ।

इसके अलावा, सहकारी समितियों के सदस्यों को ऑनलाइन सुविधाएं प्रदान करने के लिए पैक्स को कॉमन सेवा केंद्र (CSC) के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम किया गया है । इस संबंध में, सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्राद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया जा चुका है। यह पैक्स को CSC द्वारा प्रदान की जा रही 300 से भी अधिक ई-सेवाओं, जैसे कि बैंकिंग, बीमा, आधार इनरोलमेंट/अपडेट करना, स्वास्थ्य सेवाएं, कानूनी सेवाएं, आदि को देश के ग्रामीण नागरिकों को प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। अब तक, 24,470 पैक्स द्वारा ग्रामीण नागरिकों को CSC की सेवाएं प्रदान करना आरंभ कर दिया गया है, जिसके फलस्वरूप पैक्स के आय में भी वृद्धि होगी ।

*****